06.03.2020 प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 36 के नाम संयुक्त खाते की भूमि चक 16 जकेआरके. पटवार हल्का डबलीवारा पेमा के खाता संख्या 155/141 की कुल 21.505 हैक्टर भूमि में से पत्थर नम्बर 52/253 (41) के किला नम्बर 15, 20, 21 पत्थर नम्बर 54/253 (42) किला नम्बर 8, 9, 15, 18, पत्थर नम्बर 53/254 (48) के किला नम्बर 10, 11 पत्थर नम्बर 56/253 (44) के किला नम्बर 23, 24, 25 में रास्ता स्वीकृती हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में द्वारा चाहे गये अनुतोष के सन्दर्भ में राजस्व अभिलेख का अवलोकन से पाया गया कि प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण की सह खातेदारी भूमि में से प्रार्थी द्वारा अपनें ही सहखातेदार के विरूद्ध रास्ते की मांग की गई है।

चुंकि प्रार्थी और अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदार है। क्योंकि संयुक्त खाते में प्रत्येक काश्तकार का संयुक्त खाते की भूमि में प्रत्येक इन्च पर अपनें हिस्सा अनुसार ही हिस्सेदारी होती है। इस कारण किसी भी किला विशेष पर किसी एक काश्तकार का कब्जा नहीं माना जा सकता।

यदि किसी सहकाश्तकार को किला विशेष के लिये पृथ्क से यदि रास्ता स्वीकृत करवाया जाना हो तो वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत खाता विभाजन करवाकर राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 18 ता 21 के तहत रास्ते, खाले की सुविधा प्राप्त करनें का अधिकारी है। जिसके लिये प्रार्थी स्वतन्त्र है। इस कारण प्रार्थी अपनें सहखातेदारान से संयुक्त खाते की भूमि में से किला विशेष हेतु किला विशेष में से रास्ता की मांग करनें का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान अधिनियम अधिनियम 1955 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं होनें से वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 06.03.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन् सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2020.04.08 00:24:19 IST
Reason: SelfAttested